न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :03 / 2025(जी.सी.एम.एस. 2025 /   )

वादीगण बनाम	प्रतिवादी
1. लक्ष्मी देवी पत्नी रामचन्द्र पुत्री मनीराम जाति बिश्नोई निवासी न्यू हाउसिंग बोर्ड सुरतगढ तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर। 2. बेदी पत्नी राजेन्द्र कुमार पुत्री मनीराम जाति बिश्नोई निवासी राजावाली तहसील अबोहर जिला फाज्लिका पंजाब।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजूः– 08.01.2025

उपस्थितः 1.श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता वादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

––निर्णय–– दिनांक : 20.06.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 3 एफ बी, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 48 / 48, खाता संख्या 49 / 49, खाता संख्या 50 / 50, खाता संख्या 77 / 77 व राजस्व ग्राम 12 एफ ए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 91 में वादीगण के नाम सहखातेदारान साथ भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खातों में वादी का नाम लिछमा देवी, वेदवन्ती देवी दर्ज है। वादीगण के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम लक्ष्मी देवी व बेदी दर्ज है। वादीगण का वास्तविक नाम लक्ष्मी देवी व बेदी ही है। वादीगण के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार / केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण मुताबिक दस्तावेजो के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एफ बी, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 48 / 48, खाता संख्या 49 / 49, खाता संख्या 50 / 50, खाता संख्या 77 / 77 व राजस्व ग्राम 12 एफ ए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 91 में अंकित नाम लिछमा देवी के स्थान पर लक्ष्मी देवी व वेदवन्ती के स्थान व बेदी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 833 दिनांक 21.04.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 3 एफ बी व 12 एफ ए की उक्त भूमि वादीगण के नाम मनीराम पुत्र तखूराम की मृत्यू के पश्चात वारिसों के नाम विरास्तन इन्तकाल संख्या 306 दिनांक 20.05.2005 व विरास्तन इन्तकाल संख्या 275 दिनांक 20.05.2005 से दर्ज हुई है। जिसमें वादीगण का नाम लीछमा देवी, वेदवन्ती देवी था। साक्ष्यवादी में गवाह लक्ष्मी देवी, बेदी, मनोज कुमार, राजीव कुमार के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। सामिल मिसल किया गया।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 3 एफ बी, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 48/48 की प्रति, राजस्व ग्राम 3 एफ बी, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 49/49 की प्रति, राजस्व ग्राम 3 एफ बी, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 50/50 की प्रति, राजस्व ग्राम 3 एफ बी, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 77/77 की प्रति व राजस्व ग्राम 12 एफ ए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 91 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पास बुक की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादीगण के द्वारा राजस्व ग्राम 3 एफ बी, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 48/48, खाता संख्या 49/49, खाता संख्या 50/50, खाता संख्या 77/77 व राजस्व ग्राम 12 एफ ए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 91 में अंकित नाम लिछमा देवी के स्थान पर लक्ष्मी देवी व वेदवन्ती के स्थान व बेदी दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादीगण के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात आधार कार्ड की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पास बुक की छायाप्रति में नाम लक्ष्मी देवी व बेदी दर्ज है। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 3 एफ बी व 12 एफ ए की उक्त भूमि वादीगण के नाम मनीराम पुत्र तखूराम की मृत्यू के पश्चात वारिसों के नाम विरास्तन इन्तकाल संख्या 306 दिनांक 20.05.2005 व विरास्तन इन्तकाल संख्या 275 दिनांक 20.05.2005 से दर्ज हुई है। जिसमें वादीगण का नाम लीछमा देवी, वेदवन्ती देवी दर्ज हुआ है। सरपंच ग्राम पंचायत 9 एफ ए माझीवाला के तस्दीक प्रमाण पत्र के अनुसार लक्ष्मी देवी व लिछमा देवी एक ही औरत के दो नाम है। इसी प्रकार वेदवन्ती देवी व बेदी एक ही औरत का नाम है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, गवाहन शपथ पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत 9 एफ ए माझीवाला के तस्दीक प्रमाण पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136– भू–राजस्व अधिनियम–1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एफ बी, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 48/48, खाता संख्या 49/49, खाता संख्या 50/50, खाता संख्या 77/77 व राजस्व ग्राम 12 एफ ए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 91 में अंकित नाम लिछमा देवी के स्थान पर लिछमा देवी उर्फ लक्ष्मी देवी व वेदवन्ती के स्थान व वेदवन्ती उर्फ बेदी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

(श्योराम) (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

(श्योराम) (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

लक्ष्मी देवी आदि बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 03/2025

निर्णय दिनांक :- 20.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136- भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एफ बी, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 48/48, खाता संख्या 49/49, खाता संख्या 50/50, खाता संख्या 77/77 व राजस्व ग्राम 12 एफ ए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 91 में अंकित नाम लिछमा देवी के स्थान पर लिछमा देवी उर्फ लक्ष्मी देवी व वेदवन्ती के स्थान व वेदवन्ती उर्फ बेदी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 20.06.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
20.06.2025

क्रमांकः रीडर/2025/401

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर